मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 9237 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 20/09/11

प्रति,

समय सीमा

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
समस्त जिले

विषयः– महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था।

संदर्भः– (1) म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पृ.क्र./8253/NR-4/NREGS 10.8.2011 (2) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का पत्र क्र. 8385/NR-4/MGNREGS-MP/11 12.8.2011 (3) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का पत्र क्र. 8859/NR-4/MGNREGS-MP/11 03.9.2011

––00––

शासन के उपरि संदर्भि पत्र द्वारा मनरेगा अकुशल श्रम भुगतान में हो रहे विलम्ब को कम करने के लिए सर्विस ऐरिया एप्रोच के माध्यम से राशि प्रवाह की व्यवस्था दी गई है। इस व्यवस्था को समय–सीमा में कियान्वित कराने हेतु परिषद् के उपरि संदर्भित पत्रों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों के संबंध में समय–सीमाएं भी दी गई थी। इस संबंध में कार्रवाई पूर्ण करने दिनांक 6.9.2011 तक आपसे प्रमाण–पत्र भी मांगे गये थे जोकि आज दिनांक तक अप्राप्त रहें है। यद्यपि आशा की जाती है कि आपने इस संबंध में कार्रवाई पूर्ण कर ली होगी।

संबंधित बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए इस संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई हो अतः तत्काल निम्न कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

1. उपरि संदर्भित परिषद् के पत्र क्र. 2 से संलग्न की जाने वाली कार्यवाही के बिन्दु 2 से 5 तक के संबंध में की जाने वाली कार्रवाईयों के संबंध में संबंधित बैंकों से चर्चा कर तैयारियां सुनिश्चित कर ली जायें।
2. इसके उपरांत बिन्दु 2, 3 एवं 5 तक की कार्यवाही में किये जाने वाला चिन्हांकन एवं मैपिंग की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाये।
3. उपर्युक्त कार्रवाईयों का अनुमोदन डीएलसीसी में अनुमोदन करा लिया जाये एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाये। यह कार्रवाई 30.9.2011 तक संपादित की जानी है।

यदि किन्हीं कारणोंवश डीएलसीसी नहीं भी हो पाती है तो डीएलसीसी के अनुमोदन की प्रत्याशा में उपर्युक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई से निर्धारित समय–सीमा में अवगत कराया जाये।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

E:\Aks-jcfa-\JCFA Nemi Teep, Letter, Notesheet\NERGS-MP- Letter-JCFA-2011-12.doc

भोपाल

पृ.क्रमांक/ 9238 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 20/09/11

प्रतिलिपि –

1. समन्वयक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड़ भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि इस संबंध में विभिन्न बैंकों से संपर्क कर जिलों में हुई कार्रवाई का फीडबेक परिषद् मुख्यालय को देने का कष्ट करें।
2. मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय भोपाल, मुख्य महाप्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, आंचलित प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थानीय मुख्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक स्थानीय मुख्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक स्थानीय मुख्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा स्थानीय मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि आपके उत्तरदायित्व के लीड जिलों में संबंधित बैंक अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
भोपाल